Court No. - 87

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 30821 of 2022

Applicant :- Abhishek @ Dhananjay Singh
Opposite Party :- State Of U.P. And Another
Counsel for Applicant :- Anurag Shukla
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Gautam Chowdhary,J.

आवेदक की ओर से धारा 482 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु0अ0सं0 88 सन 2007, अन्तर्गत धारा 286, 307, 506 भा0दं0वि0, थाना करछना, जिला प्रयागराज से उद्भूत एस0टी0 नं0 1005 सन 2013, जो एडिशनल सेशन जज, कोर्ट नं0 9, इलाहाबाद के न्यायालय में लम्बित है तथा इसमें पारित आदेश दि0 1–4–2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्रश्नगत आदेश समुचित विवेचना एवं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, इसलिए प्रश्नगत आदेश त्रुटिपूर्ण हैं एवं अपास्त किए जाने योग्य हैं।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त प्रश्नगत आदेश बिल्कुल सही पारित किया गया है, सकारण आदेश है तथा प्रश्नगत आदेश में सभी तथ्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी है तथा यह भी कहा गया है कि पत्रावली प्राचीन वाद से सम्बन्धित है। प्रश्नगत आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है इसलिए यह आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

मैंने विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रश्नगत आदेश का परिशीलन किया।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश समुचित विवेचना पर आधारित है, सकारण एवं उचित आदेश है, उसमें कोई सारवान अनियमितता, अनौचित्यता या प्रक्रिया या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने संबंधित आवेदक की प्रार्थना निरस्त किए जाने तथा प्रश्नगत आदेश पुष्ट किए जाने योग्य है।

तद्नुसार धारा 482 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दायर यह आवेदन पत्र **निरस्त** किया जाता है तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त प्रश्नगत आदेश की पुष्टि की जाती है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

दि0 : 30–9–2022
के0सी0सिंह

Digitally signed by KAILASH CHANDRA SINGH
Date: 2022.10.01 16:18:52 IST
Reason:
Location: High Court of Judicature at Allahabad